

दिनांक 22/01/2019 को DIC के पुराने भवन के जीर्णोद्धार कार्य, सहरसा का निविदा हेतु प्राप्त तकनीकी बीड के संबंध में निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही -

सदस्य उपस्थित :-

1. प्र० निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन), आई०डी०ए०, पटना
2. प्र० निदेशक (वित्त), आई०डी०ए०, पटना
3. कार्यपालक अभियंता (बियाडा), पटना
4. कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०/बी०ओ०टी०), आई०डी०ए०, पटना

कार्यावली :-

DIC के पुराने भवन के जीर्णोद्धार कार्य, सहरसा के कार्य हेतु ई-निविदा के माध्यम से निविदा की गई। उक्त निविदा का विज्ञापन सं० -- NIT-25/TEN/IDA/18 (Sr. No. 10) है। निविदा समर्पित करने की अंतिम तिथि 18.12.2018 थी। e-proc के माध्यम से तकनीकी बीड दिनांक 19.12.2018 को अपराह्न 3:30 बजे के उपरांत कम्प्यूटर प्रोग्रामर द्वारा खोल कर पी०डी०ए० शाखा को प्राप्त हुआ। इस कार्य हेतु निम्न निविदादाताओं ने भाग लिया है --

1. Sudhir Kumar Yadav  
At- Kantho, P.O. – Shankarpur,  
P.S.- Imribhakhtiyarpur, Dist – Saharsa.  
Pin - 852106
2. Surya Narayan Choudhary  
At. +PO+PS Mahishi, Dist – Saharsa,  
Pin – 852201

प्राप्त दोनों निविदादाताओं के अभिलेख जांच हेतु निविदा समिति के समक्ष रखा गया।

1. Sudhir Kumar Yadav - निविदा समिति द्वारा इनके तकनीकी बीड के अभिलेखों के जांचोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित कागजात में NIT की कंडिका 9 का 2 (च) में मांगी गई सदृश्य कार्य (Similar Experience) का अनुभव प्रमाण पत्र, जो प्राक्कलित राशि से कम से कम 50% तक की राशि का नहीं है। साथ ही NIT की कंडिका 9 का 2 (घ) में मांगी गई अग्रधन की राशि का कागजात Uploaded नहीं है। अतः निविदा समिति इन्हें Non-Responsive निविदादाता मानती है।
2. Surya Narayan Choudhary - निविदा समिति द्वारा इनके तकनीकी बीड के अभिलेखों के जांचोपरांत पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित कागजात में NIT की कंडिका 9 के 2 (घ) में मांगी गई अग्रधन की वांछित राशि 'आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना' के नाम न कर EE IDA, Patna के नाम है। अतः निविदा समिति इन्हें Non Responsive निविदादाता मानती है।

निविदा समिति का निर्णय :-

उपरोक्त तथ्यों एवं वस्तुस्थिति के आलोक में निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति Non-Responsive निविदादाता Sudhir Kumar Yadav, Saharsa एवं Surya Narayan Choudhary, Saharsa को तकनीकी बीड को असफल मानती है। सर्वसम्मति से निविदा समिति द्वारा वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं० 1682/वि० दिनांक 01.03.2016 में विहित प्रावधान के आलोक में प्रथम बार एकल निविदा होने के कारण निविदा रद्द करने तथा पुनर्निविदा करने का निर्णय किया गया। निविदा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर Upload किया जाय एवं 05 (पाँच) दिनों के अंदर इस निविदा से संबंधित किसी प्रकार का अभ्यावेदन/आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर पुनर्निविदा को जाय।

कार्यपालक अभियंता (पी०डी०ए०/बी०ओ०टी०)

कार्यपालक अभियंता (बियाडा)